

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/पेन-113/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्व० (डा०) मो० रेयाज अहमद, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिस्फी, मधुबनी के द्वारा दिनांक-16.12.2020 से 22.01.2021 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-697(25) दिनांक-06.05.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232 एवं 234 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

1.	दिनांक-16.12.2020 से 16.01.2021 तक	-	कुल-32 (बत्तीस) दिन रूपान्तरित अवकाश (64 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
2.	दिनांक-17.01.2021 से 22.01.2021 तक	-	कुल-6 (छः) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

ह० / -

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-113/2023- 79(2) पटना, दिनांक 17/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि स्व० (डा०) मो० रेयाज अहमद का मृत्यु की तिथि 22.01.2021 तक संचित अद्यतन अव्यवहृत उपार्जित अवकाश प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिस्फी, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/श्रीमती नरगिस बानो पत्नी स्व० (डा०) मो० रेयाज अहमद, मोहल्ला-बडी भलनी, पो०-शीशो पूर्वी, थाना-सदर दरभंगा, जिला-दरभंगा, पिनकोड-846005 को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।